



Warder / Jail Prahari (Prisons Department, Rajasthan)

वार्डर — जिसे आम बोलचाल में जेल प्रहरी कहा जाता है — कारागार विभाग का सबसे ज़मीनी वर्दीधारी कर्मचारी है। जेल के भीतर बंदियों की सुरक्षा एवं गणना, बैरक की निगरानी, मुलाक़ात एवं तलाशी, न्यायालय पेशी के समय अभिरक्षा, तथा अनुशासन...



इस करियर की पूरी जानकारी — स्कैन करें

वेतन, परीक्षा, कॉलेज, प्रवेश के रास्ते और आगे के कदम — सब पोर्टल पर।

career.gsssjethantri.in/#/career/raj-jail-prahari

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जेठन्तरी

Govt. Sr. Sec. School, Jethantri · ब्लॉक समदड़ी · बालोतरा (Block Samdari · Balotra)

www.gsssjethantri.in · career.gsssjethantri.in



सुशील कुमार शर्मा

प्रधानाचार्य, रा.उ.मा.वि. जेठन्तरी · मास्टर ट्रेनर
Principal, GSSS Jethantri · Master Trainer



श्री चेनाराम चौधरी

प्रधानाचार्य, डाइट बाड़मेर
Principal, DIET Barmer



श्रीमती संघमित्रा

वरिष्ठ व्याख्याता, डाइट बाड़मेर (सहयोग)
Sr. Lecturer, DIET Barmer (Support)



भरत चौधरी

अभिकल्पना व विकास · व्याख्याता (इतिहास)
Designed & developed · Lecturer (History)

विशेष धन्यवाद · SPECIAL THANKS



सुरेन्द्र सिंह राठौड़

व्याख्याता (इतिहास) · रा.उ.मा.वि. कानाना



सुरेश कुमार सैन

व्याख्याता (भूगोल) · रा.उ.मा.वि. रामसीन मूंगड़ा



वनिता कुमारी

व्याख्याता (इतिहास) · रा.उ.मा.वि. रामसीन मूंगड़ा



कमलेश चौधरी

व्याख्याता (राजनीति विज्ञान) · रा.उ.मा.वि. टापरा

करियर मार्गदर्शन कार्यशाला, डाइट बाड़मेर (14-17 जुलाई 2026) में विकसित व लोकार्पित
Developed & unveiled at the Career Guidance Workshop, DIET Barmer (14-17 July 2026)

यह एक स्वतंत्र परियोजना है, जो सरकार की आधिकारिक करियर-मार्गदर्शन सामग्री पर आधारित है। · An independent project based on the Government's official career-guidance content.

1 यह करियर क्या है

वार्डर — जिसे आम बोलचाल में जेल प्रहरी कहा जाता है — कारागार विभाग का सबसे ज़मीनी वर्दीधारी कर्मचारी है। जेल के भीतर बंदियों की सुरक्षा एवं गणना, बैरक की निगरानी, मुलाक़ात एवं तलाशी, न्यायालय पेशी के समय अभिरक्षा, तथा अनुशासन बनाए रखना उसी का काम है। योग्यता केवल माध्यमिक (10वीं) है, भर्ती 100% सीधी होती है, और यह उन थोड़े-से पदों में है जहाँ कक्षा 10 के बाद वर्दीधारी स्थायी सरकारी नौकरी मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, जो प्रायः कोई नहीं बताता: यही पद उसी संवर्ग का पहला पायदान है जिसके ऊपर उप जेलर बैठता है। नियमों के अनुसार हेड वार्डर से पदोन्नति द्वारा उप जेलर के 50% पद भरे जाते हैं — यानी दसवीं पास वार्डर नियमों के रास्ते अधिकारी श्रेणी तक पहुँच सकता है।

2 एक नज़र में

न्यूनतम योग्यता	मान्यता प्राप्त बोर्ड से माध्यमिक (10वीं) अथवा समकक्ष। कुछ शाखाओं के लिए इसके साथ अतिरिक्त योग्यता — नीचे देखें
भर्ती संस्था	कारागार विभाग, राजस्थान (नियमानुसार नियुक्ति प्राधिकारी उप महानिरीक्षक, कारागार) — हाल के चक्र कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से
आयु-सीमा	18 वर्ष पूर्ण तथा 24 वर्ष से कम — आवेदन की अंतिम तिथि के बाद आने वाली 1 जनवरी को — आरक्षित वर्ग एवं महिला अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु-सीमा में छूट मिलती है (विवरण नीचे)
आरंभिक वेतन	पे मैट्रिक्स स्तर आधिकारिक रूप से पुष्ट नहीं — विज्ञप्ति देखें
माँग	प्रदेश की हर केंद्रीय, ज़िला एवं उप-कारागार में पद; 100% सीधी भर्ती

3 क्या-क्या चाहिए

रुचियाँ

- वर्दी, अनुशासन एवं सुरक्षा से जुड़े काम में रुचि
- लोगों के व्यवहार को समझना एवं सुधार में विश्वास

- दल के साथ पाली में काम करना

क्षमताएँ

- सतर्कता — लंबी ड्यूटी में भी ध्यान बनाए रखना
- तनाव में संयम, और उकसावे पर भी शांत रहना
- शारीरिक फिटनेस एवं अच्छी दृष्टि

ज़रूरी कौशल

- बंदियों की गणना, तलाशी एवं बैरक की सुरक्षा प्रक्रिया
- मुलाकात व्यवस्था एवं प्रतिबंधित सामग्री की रोकथाम
- झगड़े को बढ़ने से पहले सुलझाना
- प्राथमिक चिकित्सा एवं आपात स्थिति की प्रतिक्रिया
- न्यायालय पेशी एवं अस्पताल ले जाते समय अभिरक्षा
- रजिस्टर एवं ड्यूटी अभिलेख का रखरखाव
- राजस्थान कारागार नियमों एवं बंदी अधिकारों की व्यावहारिक जानकारी

4 कैसे पहुँचें

- 1 मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10 (माध्यमिक) उत्तीर्ण करें — नियमों में यही न्यूनतम शर्त है।
- 2 आयु का हिसाब जल्दी लगा लें — 18 वर्ष पूर्ण तथा 24 वर्ष से कम। यह खिड़की संकरी है और कक्षा 10 के बाद बहुत जल्दी खुलती-बंद होती है।
- 3 शारीरिक तैयारी अभी से शुरू करें — नियमों के अनुसार 168 सेमी से कम ऊँचाई, 81 सेमी से कम बिना फुलाए सीना अथवा 86 सेमी से कम फुलाकर सीना होने पर अभ्यर्थी शारीरिक रूप से अयोग्य माना जाता है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 5 सेमी तक की छूट है।
- 4 आँखों की जाँच पहले ही करा लें — वार्डर के लिए दृष्टि मानक विभाग के अन्य पदों से कड़े हैं: बिना चश्मे दूर दृष्टि 6/6 एवं 6/6 तथा निकट दृष्टि J5 व J5।
- 5 यदि आपके पास कोई अतिरिक्त योग्यता है तो उसकी शाखा देखें — भारी वाहन चालक अनुज्ञप्ति, आई.टी.आई. का यांत्रिक ट्रेड प्रमाण-पत्र, शारीरिक प्रशिक्षण का प्रमाण-पत्र, अथवा भूतपूर्व सैनिक की पृष्ठभूमि — नियम इनके लिए अलग शाखाएँ रखते हैं।
- 6 विज्ञप्ति आने पर ऑनलाइन आवेदन करें, लिखित परीक्षा दें, फिर शारीरिक माप-तौल एवं दक्षता परीक्षा में सम्मिलित हों। चयन के बाद विभागीय प्रशिक्षण पूरा करें।

प्रमुख परीक्षाएँ

- लिखित परीक्षा — अंक-योजना, अवधि एवं पाठ्यक्रम उसी चक्र की विज्ञप्ति में प्रकाशित होते हैं। ध्यान दें कि यह पद सी.ई.टी. नियम 2022 की अनुसूचियों में नहीं है, इसलिए इसके लिए सी.ई.टी. उत्तीर्ण करना आवश्यक नहीं — यह उप जेलर से एक बड़ा अंतर है, जिसके लिए सी.ई.टी. स्नातक स्तर अनिवार्य है।
- शारीरिक मानक — 168 सेमी ऊँचाई, 81 सेमी बिना फुलाए सीना तथा 86 सेमी फुलाकर सीना न्यूनतम हैं; इनसे कम होने पर अभ्यर्थी शारीरिक रूप से अयोग्य माना जाता है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को 5 सेमी तक की छूट, तथा पर्वतीय क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए ऊँचाई पर अलग उपबंध।

- दृष्टि मानक — वार्डर एवं उप जेलर दोनों के लिए बिना चश्मे दूर दृष्टि 6/6 एवं 6/6 तथा निकट दृष्टि J5 व J5 आवश्यक है। विभाग के शेष पदों का मानक 6/9 एवं 6/18 है, इसलिए यह स्पष्ट रूप से कड़ा है।
- शाखाओं की अतिरिक्त योग्यता — एम.टी. चालक: माध्यमिक के साथ भारी एवं हल्के वाहन की वैध चालक अनुज्ञप्ति, 3 वर्ष का चालन अनुभव तथा मार्ग पर मरम्मत का ज्ञान। पी.टी.आई.: माध्यमिक के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से शारीरिक प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र, अथवा कम से कम 3 वर्ष पी.टी.आई. अनुभव वाला भूतपूर्व सैनिक। मैकेनिक: माध्यमिक के साथ यांत्रिक ट्रेड में राष्ट्रीय अथवा राज्य ट्रेड प्रमाण-पत्र। आर्मरर: भूतपूर्व सैनिक अथवा केंद्रीय पुलिस संगठन का कार्मिक, आर्मरर के रूप में अनुभव सहित।
- दस शाखाएँ, एक ही पद — नियम वार्डर के अंतर्गत ये शाखाएँ रखते हैं: वार्डर-एम.टी. चालक, वार्डर-आर्मरर, वार्डर-पी.टी.आई., वार्डर-मैकेनिक, वार्डर-बैंड मास्टर, वार्डर-मशीनमैन, वार्डर-इलेक्ट्रीशियन, वार्डर-नाई, वार्डर-धोबी तथा वार्डर-रसोइया। सामान्य शाखा के लिए माध्यमिक पर्याप्त है; शेष के लिए उसके साथ अतिरिक्त योग्यता चाहिए।
- ऊपरी आयु-सीमा में छूट — अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को 5 वर्ष; सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को 5 वर्ष; तथा इन्हीं वर्गों की महिला अभ्यर्थियों को 10 वर्ष। इसका सीधा अर्थ यह है कि किसी पद के आगे लिखी बिना छूट वाली आयु किसी आरक्षित वर्ग की महिला के लिए दस वर्ष कम बताती है — यदि आप उस श्रेणी में हैं तो अपनी पात्रता छूट जोड़कर ही तय करें। राजस्थान में सीधी भर्ती में महिला अभ्यर्थियों के लिए 30% पद श्रेणीवार आरक्षित रहते हैं। विधवा एवं परित्यक्ता (तलाकशुदा) महिला अभ्यर्थियों के लिए कोई ऊपरी आयु-सीमा नहीं — नियमों में यही शब्द हैं। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम, 1999 के नियम 13(9) में, तथा राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियमों के इसी परंतुक में यह प्रावधान दर्ज है, और आर.पी.एस.सी. की विज्ञप्तियाँ भी इसे दोहराती हैं। विधवा को सक्षम अधिकारी से पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र और परित्यक्ता को तलाक का प्रमाण देना होता है। छूट एवं आरक्षण की सटीक शर्तें उसी भर्ती की विज्ञप्ति में दी जाती हैं।

5 कहाँ से पढ़ें

सरकारी संस्थान

- Government secondary schools — Class 10 — हर ब्लॉक में
- Rajasthan State Open School — for completing Class 10 later in life; reached through the School Education Department portal — जयपुर एवं ज़िला केंद्र (<https://education.rajasthan.gov.in/>)
- Government ITI — mechanical trades, and driving, for the branch posts — राजस्थान के सभी ज़िले
- District sports stadiums and school grounds — free physical preparation — ज़िला मुख्यालय एवं ब्लॉक

ऑनलाइन

- कारागार विभाग, राजस्थान — विभाग एवं जेल ढाँचा — इस पद का विभाग (<https://jail.rajasthan.gov.in>)

- राजस्थान कारागार अधिनस्थ सेवा नियम, 1998 — मूल दस्तावेज़ — योग्यता, आयु, शारीरिक एवं दृष्टि मानक तथा पदोन्नति का क्रम इसी में है (https://dop.rajasthan.gov.in/writereaddata/modulCategory/202305260341224100470Jail1998_merged.pdf)
- आर.एस.एस.बी. — पिछले प्रश्न-पत्र, उत्तर कुंजी व पाठ्यक्रम (निःशुल्क) — राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आधिकारिक साइट — तैयारी के लिए सबसे भरोसेमंद निःशुल्क सामग्री (https://rsmssb.rajasthan.gov.in/show_archived?menuName=Xj4lCb9vGxpQnfls%2FxlZ2g%3D%3D)
- विभागीय सेवा नियम (कार्मिक विभाग) — पद की योग्यता व आयु मूल दस्तावेज़ में पढ़ें — कार्मिक विभाग हर संवर्ग के सेवा नियम प्रकाशित करता है। किसी भी कोचिंग सामग्री से पहले यही पढ़ें — योग्यता, आयु और भर्ती की विधि यहीं तय होती है। (<https://dop.rajasthan.gov.in/>)
- स्वयं (SWAYAM) — भारत सरकार के निःशुल्क ऑनलाइन कोर्स — निःशुल्क (<https://swayam.gov.in/>)
- राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय (NDLI) — निःशुल्क पुस्तकें व अध्ययन सामग्री (<https://ndli.iitkgp.ac.in/>)
- एन.सी.ई.आर.टी. — निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें — सामान्य ज्ञान, गणित व विज्ञान की नींव (<https://ncert.nic.in/>)

फ्रीस

राजकीय विद्यालय से कक्षा 10 तक की पढ़ाई लगभग निःशुल्क है और शारीरिक तैयारी पर कोई खर्च नहीं आता — दौड़ और व्यायाम गाँव के रास्ते या विद्यालय के मैदान पर हो जाते हैं, और इस पद पर वही सबसे बड़ी तैयारी है। परीक्षा शुल्क कुछ सौ रुपये है, आरक्षित वर्गों को छूट मिलती है। यदि आप किसी शाखा (चालक, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन) की ओर जाना चाहते हैं तो आई.टी.आई. का ट्रेड प्रमाण-पत्र अथवा भारी वाहन अनुज्ञप्ति का खर्च अलग से आएगा — पर वह योग्यता आगे निजी क्षेत्र में भी काम आती है, इसलिए वह खर्च केवल इस पद पर दाँव नहीं है।

छात्रवृत्तियाँ

- Mukhyamantri Anuprati Coaching Yojana (free coaching, apply via SSO) (<https://sso.rajasthan.gov.in/signin>)
- Rajasthan Social Justice and Empowerment Dept scholarships (<https://sje.rajasthan.gov.in/>)
- National Scholarship Portal (NSP) (<https://scholarships.gov.in/>)
- Buddy4Study scholarship search (<https://www.buddy4study.com>)

6 काम कैसा होता है

कहाँ काम

केंद्रीय कारागार, ज़िला कारागार, उप-कारागार, खुली जेल एवं महिला कारागार — प्रदेश भर में। ड्यूटी जेल परिसर के भीतर, बैरक, मुख्य द्वार, निगरानी मीनार तथा मुलाक़ात कक्ष पर होती है, और न्यायालय पेशी व अस्पताल ले जाते समय बाहर भी।

कार्य-संस्कृति

यह वर्दीधारी, अनुशासित सेवा है और झूठी पाली में चलती है — रात, त्योहार और अवकाश सब इसमें शामिल हैं। काम में सतर्कता का दबाव लगातार रहता है, क्योंकि एक चूक भारी पड़ सकती है। वार्डर बंदियों के सबसे निकट रहने वाला कर्मचारी है, इसलिए सुरक्षा की सख्ती और मानवीय व्यवहार दोनों साथ निभाने पड़ते हैं — और यही इस काम की असली कठिनाई भी है और उसका महत्त्व भी। महिला कारागार एवं महिला बंदी-वार्डर के लिए महिला वार्डर (लेडी वार्डर) के पद अलग से हैं, और नियमों के अनुसार महिला कारागार में मैट्रन के पद पर केवल लेडी हेड वार्डर ही पदोन्नत होकर जा सकती है।

कौन नौकरी देता है

- कारागार विभाग, राजस्थान सरकार
- केंद्रीय कारागार — जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, अलवर, भरतपुर
- ज़िला एवं उप-कारागार
- महिला कारागार एवं महिला बंदी-वार्डर
- खुली बंदी शिविर (ओपन जेल)
- कारागार प्रशिक्षण संस्थान एवं विभागीय इकाइयाँ

माँग (2026)

प्रदेश की हर केंद्रीय, ज़िला एवं उप-कारागार में वार्डर के पद स्वीकृत हैं और यह संवर्ग विभाग का सबसे बड़ा है, क्योंकि जेल चौबीसों घंटे पाली में चलती है — इसलिए एक जेल में कई वार्डर चाहिए। नियमों के अनुसार यह पद 100% सीधी भर्ती से भरा जाता है, यानी पूरा संवर्ग बाहर से आने वाले अभ्यर्थियों के लिए खुला है, जो उप जेलर से महत्त्वपूर्ण अंतर है — वहाँ आधे पद पदोन्नति से भरते हैं। इस पद के बारे में सबसे उपयोगी बात यह है कि यह अंतिम पड़ाव नहीं है। नियमों की अनुसूची के अनुसार वार्डर से हेड वार्डर पर 100% पदोन्नति होती है, हेड वार्डर से चीफ हेड वार्डर/ मैट्रन पर, और उप जेलर के 50% पद हेड वार्डर से पदोन्नति द्वारा ही भरे जाते हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि दसवीं पास होकर वार्डर बना विद्यार्थी, सेवा में रहते हुए पढ़ाई जारी रखकर, नियमों के रास्ते अधिकारी श्रेणी तक पहुँच सकता है — और हेड वार्डर की पदोन्नति में स्नातक होने पर कम अनुभव माँगा जाता है, इसलिए पढ़ाई का सीधा लाभ है। एक बात स्पष्ट रहे — ऊपर दी गई "माँग" पदों की संख्या बताती है, आपके चयन की संभावना नहीं। चयन खुली प्रतियोगिता से होता है और आवेदन करने वालों की संख्या पदों से कई गुना अधिक रहती है, इसलिए अधिकांश अभ्यर्थी किसी एक भर्ती में चयनित नहीं हो पाते। यह इस करियर के विरुद्ध तर्क नहीं है — बस इसे अपनी एकमात्र योजना न बनाएँ। तैयारी के साथ-साथ पढ़ाई जारी रखें या कोई कौशल सीखें, ताकि परिणाम चाहे जो हो, वर्ष व्यर्थ न जाए।

7 आगे बढ़ने का रास्ता

- 1 वार्डर / लेडी वार्डर — 100% सीधी भर्ती, माध्यमिक उत्तीर्ण
- 2 हेड वार्डर / लेडी हेड वार्डर — 100% पदोन्नति से। स्नातक होने पर कम वर्षों का अनुभव, वरिष्ठ माध्यमिक पर उससे अधिक, और अन्य के लिए 5 वर्ष का अनुभव।
- 3 चीफ हेड वार्डर / मैट्रन — 100% पदोन्नति से; महिला कारागार में मैट्रन केवल लेडी हेड वार्डर बन सकती है
- 4 उप जेलर — 50% पद हेड वार्डर से पदोन्नति द्वारा (शेष 50% सीधी भर्ती से)
- 5 जेलर एवं उससे ऊपर — उप जेलर से पदोन्नति के माध्यम से

कमाई

शुरुआत	विज्ञप्ति में घोषित पे मैट्रिक्स स्तर के अनुसार
मध्य स्तर	₹28,000 – ₹38,000 (भत्तों सहित, हेड वार्डर स्तर पर)
वरिष्ठ स्तर	₹45,000 से अधिक (भत्तों सहित, उप जेलर स्तर पर पदोन्नति के बाद)

वर्दीधारी पद होने के कारण वर्दी भत्ता तथा ड्यूटी से जुड़े भत्ते अलग से देय होते हैं, और प्रायः विभागीय आवास भी मिलता है। तुलना करते समय एक बात ध्यान रखें — इस पद का असली मूल्य आरंभिक वेतन में नहीं, उस सीढ़ी में है जो इसके ऊपर बनी है: वार्डर से हेड वार्डर, फिर चीफ हेड वार्डर, और वहाँ से उप जेलर। सेवा में रहते हुए स्नातक कर लेना इस सीढ़ी पर चढ़ने की गति सीधे बढ़ा देता है। शुरुआती वेतन का आँकड़ा मूल वेतन है, ताकि इसे दूसरे करियर के साथ सीधे तुलना किया जा सके। इस पर महँगाई भत्ता (1 जनवरी 2026 से मूल वेतन का 60%) एवं मकान किराया भत्ता अलग से जुड़ते हैं, इसलिए हाथ में आने वाली राशि इससे काफ़ी अधिक होती है। मध्य-स्तर व वरिष्ठ स्तर के आँकड़े भत्तों सहित अनुमानित मासिक आय हैं, मूल वेतन नहीं। ध्यान दें — राजस्थान में सीधी भर्ती से लगे कर्मचारी पहले 2 वर्ष परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी रहते हैं और इस अवधि में वेतनमान नहीं, बल्कि एक नियत पारिश्रमिक मिलता है; इन दो वर्षों में महँगाई भत्ता व मकान किराया भत्ता देय नहीं होते (राजस्थान सेवा नियम, नियम 7(30क))। पूरा वेतनमान परिवीक्षा पूरी होने के बाद लागू होता है। इस पद का पे मैट्रिक्स स्तर इस पृष्ठ पर आधिकारिक दस्तावेज़ से पुष्ट नहीं किया जा सका — न सेवा नियमों में, न सी.ई.टी. नियम 2022 की अनुसूची में। इसलिए यहाँ कोई स्तर नहीं लिखा गया है। सही आँकड़ा उस भर्ती की आधिकारिक विज्ञप्ति में दिया जाता है; आवेदन से पहले उसे अवश्य देखें। ऊपर दिए गए आँकड़े राजस्थान के सातवें वेतन मैट्रिक्स पर आधारित हैं, जो 17 अगस्त 2026 तक लागू है। आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की शर्तें 28 अक्टूबर 2025 को स्वीकृत हुई थीं और आयोग को गठन से 18 माह के भीतर सिफ़ारिशें देनी हैं। राज्य सरकारें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशें आमतौर पर कुछ संशोधनों के साथ, और कुछ देर से, लागू करती हैं — इसलिए राजस्थान का वेतनमान भी आगे संशोधित होगा, यद्यपि कब और कितना, यह अभी तय नहीं है।

8 अच्छी बातें • चुनौतियाँ

अच्छी बातें

- कक्षा 10 से वर्दीधारी स्थायी सरकारी नौकरी — और इसके लिए सी.ई.टी. की आवश्यकता नहीं
- 100% सीधी भर्ती, तथा उप जेलर तक जाने वाली स्पष्ट, नियमबद्ध पदोन्नति की सीढ़ी
- अतिरिक्त योग्यता (चालक, मैकेनिक, पी.टी.आई.) के लिए अलग शाखाएँ, जहाँ प्रतिस्पर्धा सीमित रहती है

चुनौतियाँ

- आयु-सीमा केवल 18 से 24 वर्ष — कक्षा 10 के बाद खिड़की जल्दी बंद हो जाती है
- ऊँचाई, सीने के माप एवं दृष्टि के कड़े मानक, जिन पर छूट सीमित है
- रात्रि पाली, त्योहारों पर ड्यूटी तथा लगातार सतर्कता का मानसिक दबाव

9 अगर यह रास्ता न बने तो

एक परीक्षा या एक प्रयास से रास्ता बंद नहीं होता। इन्हीं विषयों से ये रास्ते भी खुलते हैं — इनमें प्रवेश आमतौर पर आसान होता है और आगे चलकर इसी क्षेत्र में लौटा जा सकता है।

- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (चपरासी, चौकीदार, फ़र्राश आदि — राजस्थान सरकार)

10 स्रोत व आगे पढ़ें

1. राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम, 1998 (कार्मिक विभाग) — https://dop.rajasthan.gov.in/writereaddata/modulCategory/202305260341224100470Jail1998_merged.pdf
2. कारागार विभाग, राजस्थान सरकार — <https://jail.rajasthan.gov.in>
3. स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान — राजस्थान राज्य मुक्त विद्यालय की जानकारी यहाँ से — <https://education.rajasthan.gov.in/>
4. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (आधिकारिक) — <https://rssb.rajasthan.gov.in/>
5. कार्मिक विभाग, राजस्थान — सेवा नियम — <https://dop.rajasthan.gov.in/>
6. आठवाँ केंद्रीय वेतन आयोग — मंत्रिमंडल की स्वीकृति (पी.आई.बी., 28 अक्टूबर 2025) — <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2183289>



और 770+ करियर — पूरा पोर्टल

रुचि व योग्यता परीक्षण, सरकारी नौकरियों, कौशल पाठ्यक्रम, बायोडाटा बनाने की सुविधा — सब मुफ्त, बिना लॉगिन, इंटरनेट के बिना भी।

career.gssjethantri.in